

कार्यालय प्रधान न्यायाधीश (परिवार न्यायालय), श्रावस्ती।

कार्यालय विज्ञप्ति

माननीय उच्च न्यायालय के पत्र संख्या 7659/ S.F.C.M Cell/Lucknow Dated: 14.09.2026 के अनुपालन में एवं उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्गत शासनादेश संख्या-102/सात-न्याय-2-2015-728/86 दिनांकित 18.06.2015 में दिये गये दिशा निर्देशों के अनुसार परिवार न्यायालय नियमावली 1955 के नियम 26 (1) के अन्तर्गत जनपद श्रावस्ती में स्थापित परिवार न्यायालय में परामर्शदाता के एक पद पर नियुक्ति हेतु निम्न वर्णित अर्हता रखने वाले व्यक्तियों से संलग्न प्रारूप पर दिनांक 17.10.2026 तक आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं।

1. आवेदक व्यक्ति समाजशास्त्र या मनोविज्ञान में से किसी एक विषय में स्नातक की डिग्री रखता हो और उसे समाज सेवा का अनुभव हो। जो व्यक्ति सामाजिक कार्य में मास्टर डिग्री धारक हैं तथा पारिवारिक काउंसिलिंग में जिन्हें दो वर्ष का अनुभव है, उन्हें वरीयता दी जायेगी।

2- आवेदक की आयु दिनांक 16-09-2026 को 35 वर्ष से कम तथा 65 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये।

विशेष नोट-

1- परामर्शदाता का कार्यकाल प्रारम्भ में 03 वर्ष का होगा। माननीय उच्च न्यायालय की संस्तुति के आधार पर 03 वर्ष के लिए उनके नाम पर पुनर्विचार किया जा सकता है।

2- उ०प्र०शासन के शासनादेश संख्या 20/2024/525/सात-न्याय-2-2024-64 बी/2023 दिनांकित 20 जून 2024 के अनुसार परिवार न्यायालय में नियुक्त परामर्शदाता को वर्तमान में रुपये 1,000/- प्रति कार्य दिवस अथवा रुपये 24,000/- प्रतिमाह, जो भी कम हो, मानदेय देय है।

3- परामर्शदाता के पर पर नियुक्ति शासकीय सेवा में नियुक्ति नहीं मानी जायेगी तथा वह न्यायालय से संविदा के आधार पर सम्बद्ध रहेंगे।

निर्धारित अर्हताधारी जो पुरुष अथवा महिला इस पद पर नियुक्त होने के इच्छुक हों, वे संलग्न प्रारूप पर अपना आवेदनपत्र अपने शैक्षिक एवं अनुभव प्रमाणपत्रों की स्व-प्रमाणित छायाप्रतियों सहित दिनांक 17-10-2026 तक प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, श्रावस्ती के कार्यालय में प्रशासनिक अधिकारी के पास व्यक्तिगत रूप से किसी भी कार्यदिवस में जमा कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक से प्रेषित कर सकते हैं।

दिनांक 16-09-2026

(आनन्द कुमार-प्रथम)

प्रधान न्यायाधीश

परिवार न्यायालय-श्रावस्ती।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित----

1-जिला सूचना अधिकारी जनपद श्रावस्ती को इस विज्ञप्ति के समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशन हेतु एवं प्रकाशन उपरांत सम्बन्धित समाचार पत्रों की प्रतियां अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में प्रस्तुत करने हेतु।

✓ 2-सिस्टम आफिसर,कम्प्यूटर अनुभाग जनपद न्यायालय,श्रावस्ती को इस निर्देश के साथ कि उक्त विज्ञप्ति की प्रति को जनपद न्यायालय श्रावस्ती व माननीय उच्च न्यायालय,इलाहाबाद की वेबसाइट पर अपलोड किया जाना सुनिश्चित करें।

3-इस विज्ञप्ति की एक प्रति नोटिस बोर्ड परिवार न्यायालय,श्रावस्ती, एक प्रति नोटिस बोर्ड जनपद न्यायालय श्रावस्ती व एक प्रति माडल बार एसोशियेशन श्रावस्ती के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करायी जाये।

दिनांक 16-09-2026

(आनन्द कुमार-प्रथम)

प्रधान न्यायाधीश

परिवार न्यायालय-श्रावस्ती।

कार्यालय प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, श्रावस्ती।

परामर्शदाता पद हेतु आवेदन

1. अभ्यर्थी का नाम-

2. पिता का नाम-

स्वप्रमाणित फोटो

3. जन्मतिथि-

4. स्थायी पता-

5. पत्र व्यवहार का पता-

6. मोबाइल नंबर-

7. लिंग

8. जाति (सामान्य/अनु०जाति/अनु०जनजाति/अ०पि०वर्ग)-

9. अभ्यर्थी की शैक्षिक योग्यता का विवरण-

परीक्षा का नाम	संस्था/बोर्ड विश्वविद्यालय का नाम	उत्तीर्ण होने का वर्ष	अनुक्रमांक	पूर्णांक	प्राप्तांक
हाईस्कूल					
इण्टरमीडिएट					
स्नातक					
परास्नातक					
अन्य					
अनुभव					

10- वैवाहिक स्थिति-

11. राष्ट्रीयता-

12. संलग्नकों की कुल संख्या-

घोषणा

मैं एतद्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि इस आवेदन में प्रस्तुत सभी विवरण पूर्णतः सत्य है। मेरे द्वारा दी गयी किसी सूचना के असत्य होने अथवा अभिलेख के कूटरचित/त्रुटिपूर्ण होने की स्थिति में नियुक्ति अधिकारी को मेरा अभ्यर्थन निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।

(अभ्यर्थी के हस्ताक्षर)